31-7-19	वकील वादी उप० बहस को मौका चाहते हैं। दि० 21-8-19 को पेश हो। KR
	21-8-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अलग मीटिंग अन्य कार्य में व्यस्त / बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अधि... दिनांक 2-9-19 को पेश हो। रीडर
2-9-19	वकील वादी उप० बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दि० 11-9-19 को पेश हो। KR
11-9-19	वकील वादी उप० समयाभाव में निर्णय नहीं लिखाया जा सका आइन्दा दि० 16-9-19 को पेश हो। KR
16-9-19	वकील वादी उप० आलोच्य वादी का खारीज किया जाता है। निर्णय पृथक से शामिल किया गया। पत्रावली पोर्टल अपडेट होकर दाखिल रिकार्ड हो। KR

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)
....

आज्ञापित द्वारा:- श्री सुरेन्द्र पुरोहित (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	पेशी तिथि	निर्णय तिथि
479 / 30	12-12-07 / 7-3-13	16-9-19

उनवान

1- हसनमोहम्मद पुत्र सुमेर
2- दीनमोहम्मद पुत्र सुमेर
3- रहमान पुत्र सुमेर
4- फक्क पुत्र सुमेर
5- करीमा पुत्र रहमान ---- मृतक
5/1-शेरमोहम्मद पुत्र करीमा
5/2-आसमोहम्मद पुत्र करीमा
5/3-ईसबखां पुत्र करीमा
5/4-नसरूद्दीन पुत्र करीमा
5/5-बशीरखां पुत्र करीमा
5/6-हाजीमद्दी पुत्र करीमा
5/7-सहरूद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद पौत्र करीमा
5/8-जमील पुत्र नूरमोहम्मद पौत्र करीमा
5/9-मुश्ताक पुत्र नूरमोहम्मद पौत्र करीमा
6- रहमान पुत्र सुब्बा मौम मेव निवासीयान तिगाना
तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- वादीगण

बनाम

1- सुभानी बेवा हुरमत
2- हनीफ मोहम्मद पुत्र हुरमत
3-सलिममोहम्मद पुत्र हुरमत
4- सदरखां पुत्र धीयासिंह उर्फ प्रभू
5- रहमत पुत्र मेहराब
6- सिताब पुत्र हिम्मत खां
7- इमामखां पुत्र मानू --- मृतक
7/1-गफूर पुत्र इमामखां
7/2-सबूर पुत्र इमामखां
7/3-बशीर पुत्र इमामखां
7/4-चन्दरखी पत्नि इमामखां जाति मेव निवासीयान तिगाना
तहसील किशनगढ़-बास :-प्रतिवादीगण

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति:-1- श्री सुमितचन्द मिश्रा एड. वादीगण की ओर से।
2- प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:-
वादीगण ने वाद पेश किया कि आ.ख.नं. तादादी 31/2/0-16, 34/0-14 वाके ग्राम सिवाना के मौरूसीयान सुभान, कोला शादी, सुमेर, रहमत पुत्रान जगदेव समभाग एक हिस्सा, मुराद, सगरू, हरमान पुत्र पुत्रान मेहराब एक हिस्सा मानु पुत्र काला, दुरहमत पुत्र कोसी, धारसिंह पुत्रमामर्खा समभाग एक हिस्सा मौरूसीयान की होने के कारण राज.काश्तकारी अधि. 1955 लागू होने से पहले व बाद से हम वादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। नकल जमाबन्दी सं. 20 12 पेश है। समस्त सोन्दान वाद में दर्ज किया जा रहा है।

उक्त आराजी दीगर आराजीयात सहित शामलाती बुजुर्गान की आरजी थी जो बुजुर्गान ने आपसी सहमति से मौखिकरूप से आराजी ख.नं. तादादी 40/0-12, 43मि./0-02, हाल ख.नं. 151/1039/0-14 पर सिताब खा पुत्र हिम्मत खां काबिज है ख.नं. 33/0-14, 31मि./1-02 हाल ख.नं. ख.नं. 148/0-14, 166/1-12 पर रहमत पुत्र मेहराब काबिज है आ.ख.नं. 34मि./0-07, 34मि./0-07, 31मि./0-16 जिसके हाल ख.नं. 149/0-07, 150/0-07, 167/0-16 हाल ख.नं. 260/1-16, 327/0-16 पर रहमत पुत्र मेहराब मेहराब, सरवखां पुत्र धारखां काबिज है रहमतखां ने हाल ख.नं. 260/1-16 कन्हैया चमार को बेचान कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त आराजी पर मौखिक बंटवारे के आधार पर काबिज व काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण राज.काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज व काश्त करते चले आ रहे हैं मौके पर वादीगण का ही कब्जा है। बन्दोबस्त विभाग ने सं. 2029 की जमाबन्दी में वादीगण का नाम हजफ करके प्रतिवादीगण के नाम का गलत इन्द्राज कर दिया, जबकि प्रति. का समस्त आराजी पर कोई सरोकार न रहा न है। इन्द्राज गलत की आड में प्रतिवादीगण विवादित आराजी को जबरन से हड़प करना चाहते हैं और धमकी देते हैं कि विवादित आराजी को किसी भी दीगर शख्स को रहन बय मुन्तकिल करेंगे।

--3--

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

बन्दोबस्त विभाग ने साबिक ख. नं. 31/2/0-16 का हाल ख. नं. 167/0-16 व साबिक ख. नं. 34/0-14 के हाल ख. नं. 149/0-07, 150/0-07 ग्राम सिवाना बना दिये। राज. काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व व बाद में विवादित आराजी पर हम वादीगण के बुजुर्गान काबिज व काश्त करते चले आ रहे है उनकी फोतगी के बाद वादीगण को विरासत में विवादित आराजी मिली और वो काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। ऐसी सूरत में राजस्व रिकार्ड में गलत अमल हो गया उस गलत अमल को हटवा कराकर वादीगण अपने नाम का अमल दुरूस्त कराने के अधिकारी है वो अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने के भी अधिकारी है।

अत: वाद वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण बहक वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:-

[1] करार दिया जावे कि साबिक ख. नं. 31/2/0-16, 34/0-14 हाल ख. नं. 167/0-16, 149/0-07, 150/0-07 वाके ग्राम सिवाना के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इन नम्बरों में प्रतिवादीगण का अमल गलत दर्ज हो रहा है एवं वादीगण का नाम काबिल अमल है तथा प्रति० का नाम का अमल वादीगण के खिलाफ बातिल व बेअसर है। काबिल हटाव है।

[2] जरिये हु. इ. दवामी प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी में वादीगण को काश्त करने में मुजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें, ना आराजी को मुन्तकिल करें।

[3] खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे ।

[4] दीगर दादरसी जो मुनासिब अदालत श्रीमान हो बख्शी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुये जवाब पेश किया कि विवादित आराजी से वादीगण अथवा उनके बुजुर्गान का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । जमाबन्दीयात में प्रतिवादीगण का नाम बतौर काश्तकार खातेदार दर्ज हो रहा है। विवादित आराजी शामलाती बुजुर्गान की आराजी नहीं थी, ना ही 40, 43 व हाल नं. 151/1039 पर सिताब खा पुत्र हिम्मत काबिज है और ना ही ख. नं. 33, 31मिन हाल नं. 148, 166 पर पूरे पर रहमत काबिज है, । बल्कि प्रतिवादीगण काबिज है, ख. नं. 34मिन, 31मिन जिसके हाल ख. नं. 149, 150, 167 पर वादीगण काबिज नहीं है बल्कि हम प्रतिवादीगण काबिज है। ख. नं. 229, 137 जिसके हाल ख. नं. 260, 327 पर सरवरखां रहमतखां काबिज नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण

—4—

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगणं काबिज है। ख.नं. 260 का बयान भिन प्रतिवादीगणं का नहीं है। वादीगणं गैरवास्ता गैरकाबिज आराजी है । वादीगणं ने विवादित आराजी को कभी भी काश्त नहीं किया ना ही उनके बुजुर्गान ने कभी काश्त किया। भिन प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजाविया के खातेदार काश्तकार है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने से पूर्व ना तो पहले वादीगण का कब्जा काश्त था और ना ही अब वादीगणं का कब्जा है। ना वादीगणं ने आराजी को क को कभी काश्त किया । वादीगण को कानूनन वाद लाने का अधिकार नहीं है वाद वादीगण मेनटेनेबल नहीं होने के कारणं काबिल खारिज है। अतः वाद वादीगणं खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य ली गई। वादीगणं ने साक्ष्य में हसनमोहम्मद पुत्र सुमेर पी.डब्लु 1 रहमान पुत्र सुगहा पी.डब्लु 2 करीमा पुत्र रहमत पी.डब्लु 3 हाज सुफेदा पुत्र अब्दुल रहमान पी.डब्लु 4 रज्जुलों पुत्र सुमेर पी.डब्लु 5 के बयान कराये हैं । तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सं. 2020 प्रदर्श 1, नकल खतौनी बन्दोबस्त सं. 2029 प्रदर्श 2 नकल मिसान हैसियत प्रदर्श 3 नकल जमाबन्दी सं. 2012-15 प्रदर्श 5, नकल जमाबन्दी सं. 2053-56 प्रदर्श 6 नकल खसरा टीप सं. 2006लगा- 2010 प्रदर्श 7, व 8 तथा नकल जमाबन्दी संम्वत् 1990, नकल जमाबन्दी सम्वत् 1994, नकल जमाबन्दी संम्वत् 1992, नकल जमाबन्दी सं. 2012 नकल जमाबन्दी सं. 2020, नकल जमाबन्दी सं. 206 पेश किये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं की गई।

प्रति. नं. 5 ने दिनांक 27-7-09 को राजीनामा पेश किया तथा प्रति. नं. 4 ने दिनांक 23-1-01 को राजीनामा पेश किया। दोनो राजीनामों में उन्होने स्वीकार किया कि आराजी विवादित से हमारा कोई संबंध व सरोकार नहीं आराजी वादीगणं के कब्जे काश्त खातेदारी की है। प्रति.नं. 1 लगा. 4 ने दिनांक 3-4-13 को राजीनामा पेश किया उक्त राजीनामा में भी आराजी विवादित को वादीगण की ही होना स्वीकार किया है। प्रति. नं. 6, 7 की ओर से राजीनामा पेश नहीं किया गया। जबावदावा पेश करने के पश्चात् वो हाजिर नहीं आयें इसलिये समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि दो साबिक

—5—

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

मुस्तदान का विवाद है खसरा नं. 31/2/0-16 व 34/0-14 जिनके हाल ख.नं. 167/0-16, 149/0-07, 150/0-07 विस्वा बने हैं। दावे में परिवार का शजरा दिया हुआ है जिसके मुताबिक वादीगण जगदेव के वारिसान है। जमाबन्दी सं. 2012 के मुताबिक हाराजी शामलातं थी आपसी बंटवारा करके काश्त करने लगे थे सन् 1955 में हम काबिज थे हमारे द्वारा काश्त किये जाने का अंकन हो रहा है। काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय वादीगण काबिज थे इसलिए खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन केवल काश्तकार दर्ज कर दिया इसके पश्चात् सेटलमेन्ट ने प्रतिवादीगण के नाम का गलत अंकन करदिया गया। उस गलत अंकन को हटा किया जाकर प्रतिवादीगणं को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण 1लगा4 व प्रति. नं. 5 ने राजीनामा भी पेश कर दिया परन्तु राजीनामा तस्दीक नहीं हो पाया है इसलिए प्रतिवादीग का कोई इन्ट्रेस्ट नहीं रहा। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही भी हो चुकी है। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं हो रहे हैं। इसलिए दावा डिक्री फरमाया जाकर वादीगणं को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:-

<u>तनकी नं. 1:-</u> आया आ.खं.नं. ताबिक 31/2/0-16, 34/0-14 वाके ग्राम तिदाना के वादीगण राज. काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं? इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत् 1990, नकल जमाबन्दी सम्वत् 1994 के अवलोकन से जाहिर है कि विस्वेदारी के समय पक्षकारान के बुजुर्गान के नाम आराजी दर्ज रिकार्ड थी। नकल जमाबन्दी सं. 2012-15 प्रदर्श 4 के अवलोकन से साबित है कि ताबिक ख.नं. 31/2/0-16, 34/0-14 पर सुग्हा, बोला, सुमेर, रहमत पुत्रान जगदेव द्वारा ही काश्त किये जाने का अंकन है।, इसी प्रकार खाराटीप सम्वत् 2006-9 में सुग्हा वगैरा की काश्त का अंकन हो रहा है। जो प्रदर्श 6 व 7 है। नकल जमाबन्दी सं. 2020 प्रदर्श 1 में सुमेर रहमत पि. जगदेव व रहमत पुत्र सुग्हा द्वारा काश्त किये जाने का अंकन हो रहा है। दावा में दर्ज शजरे के अनुसार सुग्हा, बोला, शंगदी, सुमेर, रहमत पुत्रान जगदेव के ही वादीगण वारिसान है। जो सम्वत् 2012 से आराजी विवादित पर काबिज काश्त रहे हैं। इसलिए कानूनन वादीगण आराजी विवादित के खातेदार हो चुके हैं। नकल मिलान हैसफल प्रदर्श 3 के अवलोकन से साबित है कि ताबिक ख.नं. 31/2/0-16 से हाल ख.नं. 167/0-16 व ताबिक ख.नं. 34/0-14 से हाल ख.नं. 149/0-07 व 150/0-07 भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़ बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

पेमूद किये गये है। नकल जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग प्रदर्श 2 के अवलोकन से साबित है कि भू-प्रबन्ध द्वारा हाल नम्बरान कायम करते हुये साबिक रिकार्ड अनुसार इन्द्राज न कर हुरमत पुत्र धोंसी, सरवर्दा पुत्र धावसिंह व रहमत पुत्र महराब, मम्मू, हसमल पुत्र मदारा के नाम का इन्द्राज करदिया जबकि सम्वत् 2012 के पूर्व से ही वादीगण की कब्जा काश्त थी वादीगण कानूनन इस आराजी के खातेदार थे। प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी का अंकन विधि विरूद्ध है। जो हवध किये जाने योग्य है। अत: यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 2:-
------- आया वादीगण ने वाद के पैरा नं. 2 में वर्णित अनुसार मौखिक बंटवारा किया हुवा था जिसके अनुसार काबिज व काश्त करते चले आ रहे है? इस तनकी का भार भी वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत् 1990, 1992, 1094 से साबित है कि विवादित आराजी के साथ साथ दीगर आराजी भी पक्षकारा के बुजुर्गान के शामलाती में दर्ज थी परन्तु काश्त का अंकन अलग अलग होना अंकित है जिससे साबित है कि आराजी सम्वत् 2012 के पूर्व से बांटी हुई थी जिसके अनुसार ही पृथक पृथक काश्त किये जाने का अंकन हुवा है। यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 3:- आया वादीगण इस प्रकार इस्तकरारहक मय हु. दवामी की डिक्री पाने के अधिकारी है? इस तनकी का भार भी वादीगण पर था तनकी नं. 1 में किये गये विवेचनानुसार यह तथ्य साबित है कि सम्वत् 2012 के पूर्व से ही वादीगण आराजी विवादित पर काबिज काश्त है। और प्रतिवादीगण 1लगा.5 ने राजीनामा में भी आराजी वादीगण की ही होना स्वीकार किया है। प्रति. नं. 6, 7 द्वारा जवाबदावा के पश्चात् वाद की पैरवी ही नहीं की है उनके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है जिससे यह साबित है कि आराजी विवादित से उनका भी कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादीगण का वाद प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित होता है। इस लिए यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 4, 5, 6 का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने इन तनकीयात को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया इसलिए ये तनकीयात स्वत: ही विरूद्ध प्रतिवादीगण जाती है। जिन पर विवेचन किये जाने की आवश्यकता नहीं रही है। तनकी नं. 4, 5, 6 विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती हैं।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त तनकीयात किये गये विवेचनानुसार वादीगण का वाद भी भलीति साबित होता है। वाद डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर वादीगण को साबिक ख. नं. 31/2/0-16, 34/0-14 जिनके हाल ख. नं. 167/0-16, 149/0-07, 150/0-07 वाके ग्राम सियाना का खातेदार काश्तका घोषित किया जाता है। तथा जो अमल जमाबन्दीयात में प्रतिवादीगण के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार ही वाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा वाद वादीगण स्व वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिका हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस. किशनगढबास

मुकदमा नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय
479/30	12.12.07 7.3.13	16.9.19

उनवान

1. हसनमोहम्मद पुत्र सुमेर
2. दीनमोहम्मद पुत्र सुमेर
3. राजमल पुत्र सुमेर
4. फजरू पुत्र सुमेर
5. करीमा पुत्र रहमत———मृतक

5/1.–शेरमोहम्मद पुत्र करीमा
5/2.–आसमोहम्मद पुत्र करीमा
5/3.–ईसबखां पुत्र करीमा
5/4.–नसरूदीन पुत्र करीमा
5/5.–बसीरखां पुत्र करीमा
5/6.–हाकीमदी पुत्र करीमा
5/7.–सहरूदीन पुत्र नुरमोहम्मद पौत्र करीमा
5/8.–जमीला पुत्र नुरमोहम्मद पौत्र करीमा
5/9.–मुस्ताक पुत्र नूरमोहम्मद पौत्र करीमा

6. रहमान पुत्र सुगडा कोम मेव निवासीयान सिवाना तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:– वादीगण :–

बनाम

1. सुभानी बेवा हुरमत
2. हनीफ मोहम्मद पुत्र हुरमत
3. वलीमोहम्मद पुत्र हुरमत
4. सवरखां पुत्र चावसिंह उर्फ प्रभु
5. रहमत पुत्र मेहराम
6. सिताब पुत्र हिम्मत खां
7. इमामखां पुत्र मानू———मृतक

7/1–गफुर पुत्र इमामखां
7/2–सकुर पुत्र इमामंखा
7/3–बसीर पुत्र इमामंखा
7/4–चन्दरबी पत्नि इमामंखा जाति मेव निवासीयान सिवाना तहसील किशनगढबास।

:– प्रतिवादीगण :–

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट
उपस्थिति:— 1 श्री दुलीचन्द मिश्रा एड. वादीगण की ओर से।
2.प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

पर्चा डिक्री 16.9.19

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण एक पक्षीय किया जाकर ादीगण को साबिक ख0न0 31/2/0—16, 34/0—14 जिनके हाल ख0न0 .67/0—16, 149/0—07, 150/0—07 वाके ग्राम सिवाना का खातेदार काश्तकार ोषित किया जाता है। तथा जो अमल जमाबन्दीयात मे प्रतिवादीगण के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही वाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो । खर्चा फरीकेन अपना— अपना वहन करेगें।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास(अलवर)

Scanned by CamScanner